47

Suggestion was handed over to moderator

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS" ZONE :– H

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए

Form to be filled by Participant

नाम Name	B.S. RAWAT
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	INDIVIDUAL Director (Plg.) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 2959 Dated 11/5
वर्तमान स्थिति Present Position	Employed
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9811036663 9811936663
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	B6/115, SECTOR-05 ROHINI, DELHI
हस्ताक्षर : Signature :	BS Rawat
तिथि : Date :	01/05/12

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

271

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

सेवा में,
श्री विनोद साकले
निदेश (योजना), डीडीए रोहिणी
पीपीआर जोन (एम एवं एन)
दीपाली चौक, सेक्टर–3,
रोहिणी, दिल्ली–110085

सुझाव कर्ता : भूपेन्द्र सिंह रावत
संयोजक : जन संघर्ष वाहिनी
पत्राचार : सी–172, विजय विहार, फेस–2,
रोहिणी दिल्ली–110085
मोबाईल नं0 : 9013497453, 01120506929
Email: jsvindia1@gmail.com

आदर्णिय

साकले जी आपको जानकारी है ही कि जन संघर्ष वाहिनी वर्षों से मास्टर प्लान 2021 में संशोधन और जिस जमीन पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं उस जमीन पर जोनल प्लान की योजनाओं को रद्द करने, अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्या करने व मार्च 1993 के बाद में गिराई गई अनधिकृत कालोनियों का पुनर्वास करने मांग सहित किसानों को भूमिहीन बनाने के सिलसिले को बंद करने के लिए संघर्ष रत है। इसी संदर्भ में 12 दिसंबर 2011 को संसंद के समक्ष दिए गए धरने के दौरान केन्द्रिय शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ जी से की गई मांगों में शामिल कुछ मांगों को उन्होंने मास्टर प्लान में संशोधन करने वाली कमेटी के पास भी भेजा है।
अतः जन संघर्ष वाहिनी आपके समक्ष अनधिकृत कालोनियों (आवास) और दिल्ली देहात के किसानों से संदर्भ में सशोधन के लिए सुझाव आपके समक्ष भेज रही है। इस संदर्भ में वाहिनी भूमि बचाओ आन्दोलन के साथियों के साथ ओपन हाउस में अनधिकृत कालोनियों और किसानों का पक्ष रखेगी।

अनधिकृत कालोनियों (आवास) के संदर्भ में जन संघर्ष वाहिनी के सुझाव।

1 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर मास्टर प्लान 2021 के तहत प्रस्तावित सभी सड़कों, आवारीय, व्यवसायिक और औद्योगिक और हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय।

2 उत्तर और उत्तर–पश्चिम जिला में नियमितिकरण की सूची में शामिल 180 से अधिक अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी जोन–एम की के तहत प्रस्तावित सभी सड़कों, आवासीय सेक्टरों, व्यवसायिक केन्द्रों, औद्योगिक और हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय।

3 मास्टर प्लान 2021 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किसी भी योजना को आगे बढाने से पहले उससे प्रभावित होने वाले लोगों के आवास और आजीविका के साधनों का पुनर्वास किया जाना आवश्यक हो।

4 मास्टर प्लान 2021 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जांय जिससे 31 मार्च 1993 के बाद गिराई गई सभी अनधिकृत कालोनियों के प्रभावितों का पुनर्वास संभव हो सके।

270

5 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर जोनल प्लानों के तहत प्रस्तावित ऐसी सभी योजनाओं को रद्द किया जाय जिन योजनाओं के कारण ऐसी कालोनियों के अस्तित्व को संकट पैदा हो चुका है।

6 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं ऐसी जमीन का मालिकाना हक उन कालोनियों के निवासियों को मिले, मास्टर प्लान 2021 में सके ऐसे प्रावधान शामिल किए जांय।

7 अनधिकृत कालोनियों में अवैध तरीके से की जा रही खरीद–फरोखत के कारण जारी भ्रष्टाचार और काले धन के निवेश को रोकने के लिए ऐसी कालोनियों में खरीद–फरोख्त पर लगी रोक हटाकर पकी रजिस्ट्री कर कालोनियों के विकास के लिए अलग से कोष का गठन किया जाय।

8 अनधिकृत कालोनियों में अवैध तरीके से जारी निर्माण कार्यों के कारण ललिता पार्क, पुरानी दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र और उत्तम नगर में घटी दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोंकने और अवैध निर्माण के कारण जारी भ्रष्टाचार (संबधित विभागों के क्रमचारी और अधिकारियों के द्वारा की जा रही काली कमाई) पर रोक लगाने के लिए अनधिकृत कालोनियों में नए मकानों का निर्माण करने पर लगी रोक हटा दी जाय।

9 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां अधिग्रहण कर रखी जिस जमीन पर आबाद हैं मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर ऐसी जमीन का अधिग्रहण रद्द किया जाय।

10 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं यदि किसी योजना के लिए ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है तो मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर उस जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को रद्द किया जाय।

11 अनधिकृत कालोनियों को मौजुदा स्थिति में नियमित करने के लिए मास्टर प्लान 2021 और दिशा–निर्देशों में संशोधन किया जाय।

जिस जमीन पर नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं उस जमीन पर मास्टर प्लान 2021 और जोनल प्लान की अन्य प्रस्तावित योजनाओं को रद्द करने की पैरवी के आधार :

1. दिल्ली विधानसभा में 1993 से अब तक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए कई बार प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं।

2. अस्सी के दशक में पास की गई 567 कालोनियों के बाद इन कालोनियों को नियमित करने की घोषणाएं वर्ष 1993 से ज्यादा तेज हुई हैं जब 31 मार्च 1993 को हवाई सर्वेक्षण के आधर पर 1071 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सूची तैयार की गई थी।

3. 20 जून 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने दिल्ली में आबाद 1100 अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया ळें

4. इन कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने 27 फरवरी 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय में नीति पेश की।

5. अनधिकृत कालोनियों के मामले की सुनवाई के दौरान 25 नवंबर 2002 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार से पास होने वाली और पास न होने वाली कालोनियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

6. जून 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा 1432 कालोनियों की सूची नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई।

7. 3 एवं 5 फरवरी 2007 को समाचार पत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा नियमित की जाने वाली कालोनियों की सूची प्रकाशित की गई।

8. दिल्ली सरकार ने दैनिक पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर 1432 अनधिकृत कालोनियों को नियमितकरने के लिए इनकी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्लूए) को नक्शा इत्यादि तैयार कर जमा करने के लिए विवश किया।

9. दिल्ली सरकार ने 1432 कालोनियों को नियमित किए जाने के संबंध में कालोनीवासियों को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर बधाई दी।

10. दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यूपीए की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी के हाथों 4 अक्टूबर 2008 को छत्रशाल स्टेडियम में प्रोविजन सार्टिफिकेट का वितरण करने की शुरूआत कर 1200 से अधिक कालोनियों को ऐसे सार्टिफिकेट जारी किए। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित और दिल्ली सरकार के विकास मंत्री राजकुमार चौहान भी मौजूद थे।

11. दिल्ली सरकार ने नियमित की जाने वाली 1432 कालोनियों के विकास के लिए 2800 करोड़ रूपये का बजट आवंटित करने का ऐलान किया।

12. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के तहत दिल्ली सरकार द्वारा इन कालोनयों के पक्ष में विज्ञापन जारी करके घोषणा की गई कि सरकारी भूमि पर 31 मार्च 2002 तक और निजी भूमि पर अक्टूबर 2007 तक आबाद हो चुकी कालोनियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही अधिग्रहण की गई भूमि जिस भूमि पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हों और यदि किसानों द्वारा उसका मुआवजा उठाया जा चुका तो वह सरकारी भूमि मानी जाएगी और यदि मुआवजा नहीं उठाया गया है तो वह निजी भूमि है, इस आशय को भी स्पष्ट किया गया, जिसमें अनधिकृत कालोनियों की अधिग्रहण की गई भूमि को डि–नोटिफाइड करने की बात कही गई है। विज्ञापन में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का उल्लेख भी किया गया था।

13. पिछली लोकसभा के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए श्री अजय माकन ने लोकसभा के सत्र में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी।

14. अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

15. दल्ली सरकार ने कुछ कालोनियों की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्लूए) की भागीदारी योजना के तहत कार्याशाला का आयोजन कर तमाम कालोनियों को पास करने का ऐलान 8, 9 और 10 अप्रैल 2008 को किया।

16. ज्यादातर अनधिकृत कालोनियों में सरकार ने सड़क और नालियों का निर्माण कार्य करवा दिया है या कार्य जारी है इसके अलावा पानी की पाईपलाईनें भी बिछाई जा रही हैं।

केन्द्रिय शहरी विकास मंत्री के द्वारा भेजे गए जन संघर्ष वाहिनी के सुझाव।

Suggestion of Jan Sangharsh Vahini Issues regarding unauthorized colonies forwarded by MoUD for mid Term Review of MPD-2021.

Issue regarding unauthorized colonies :-

1. Regularization of all the unauthorized colonies.
2. Development according to plan, no unauthorized colony should be demolished so that resident may not become homeless.
3. Provision for basic amenities in the unauthorized colonies.
4. Cancellation of acquisition proceeding started in the unauthorized colonies.
5. Framing policy for regularization of unauthorized colonies.
6. Resettlement of all the evictees of unauthorized colonies.
7. No cost be charged from resident of unauthorized colonies at the time of regularization.
8. All the plan of road, resident colony, industrial and institutional should be cancelled.
9. Sale deed be allowed in the unauthorized colonies.

Allow the sale purchase of lands / building in urban areas, cancelled of zonal plan of zone M. Resettlement of displaced person from 31-03-1993 of unauthorized colonies. Cancellation of all the plan prepared according to MPD-2021 & zonal plans where demolition of house, properties, colonies are required. Provision of basic amenities in unauthorized colonies cancellation of land acquisition removal of anomalies between the provisions of MPD-2021 & Guidelines of 2007. Regularization of unauthorized colonies.

पंजाब केसरी
दिल्ली
12 दिसम्बर, 2011

जोनल प्लान रोहिणी जोन को रद्द करो

नई दिल्ली, (वि.): एक ओर जिस तरह से सरकारों ने वर्ष 1993 से अब तक दिल्ली में आबाद तमाम अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की दर्जनों बार बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं और उन कालोनियों में से 1200 से अधिक को नियमित करने के लिए प्रोविजन सर्टीफिकेट तक वितरित कर दिए हैं और दूसरी ओर अपनी ही घोषणाओं के औचित्य को नकार कर ऐसी जमीन पर जोनल प्लान और मास्टर प्लान 2021 के तहत छोटी-बड़ी सड़कों से लेकर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक योजनाओं सहित हरित क्षेत्र विकसित करने की योजनाएं तैयार कर चुकी है जिस पर ऐसी कालोनियां विकसित हैं। इस तरह सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार करने के लिए इन कालोनियों को नियमित करने के नाम पर की गई घोषणाओं की सीबीआई जांच की जाये तो शायद इसके आगे 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाला भी बौना साबित हो जाएगा। यह कथन जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेन्द्र सिंह रावत का है। श्री रावत ने कहा कि दिल्ली में आबाद 1600 से अधिक अनधिकृत कालोनियों में शामिल 180 से ज्यादा कालोनियां पश्चिम और उत्तर-पश्चिम जिले की उस जमीन पर आबाद हैं जिस जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जोनल प्लान मुख्यत: 'रोहिणी जोन-एम' की छोटी-बड़ी सड़कों सहित आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक और हरित क्षेत्र की योजना को 5 फेसों में विकसित करने का काम आरम्भ किया है। इसके फेस 1, 2 और 3 का ज्यादातर काम लगभग पूरा हो चुका है।

योजना के तहत वही काम बाकी है जिस जमीन पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं और फेस 4 और 5 का काम होना इसलिए बाकी है क्योंकि एक तो जमीन विभाग को अपने हाथ में लेनी है और कुछ मामलों में रोक है और ज्यादातर भू-भाग पर पहले ही अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं।

इस तरह दिल्ली सरकार द्वारा जारी 1639 कालोनियों की सूची में शामिल 180 से ज्यादा कालोनियां अकेले

- **अनधिकृत कालोनियों की जमीन हथियाने वाले मास्टर प्लान 2021 में संशोधन की मांग**
- **जन संघर्ष वाहिनी करेगी दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन**

रोहिणी योजना की भेंट चढ़ जाएंगी और इस योजना को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को बेघर किया जाना तय कर दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर रोहिणी जोन एम सहित सभी जोनल प्लानों की उन योजनाओं को रद्द किया जाये जैसे सभी जोनल प्लानों को रद्द किया जाए, जिन योजनाओं के कारण ऐसी कालोनियों का अस्तित्व संकट में है।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में खरीद-फरोख्त पर लगी रोक को हटाकर पकी रजिस्ट्री करने का प्रावधान शुरू कर अलग कोष का गठन किया जाए और इस कोष से इन कालोनियों का विकास कार्य किए जाए। इसके अलावा वर्ष 1993 से अबतक सरकारी स्तर पर इन कालोनियों को नियमित करने की घोषणाएं कर किस-किस को लाभ पहुंचाया गया इसकी सीबीआई जांच कराई जाये।

श्री रावत ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों के हित में उपरोक्त मांगों को लेकर 12 व 13 दिसंबर को जन संघर्ष वाहिनी की अगुआई में जन्तर-मंतर पर दो दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरने में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के हजारों लोगों में विशेष तौर पर विजय विहार, बुधविहार, प्रताप विहार, प्रेमनगर, राजीव नगर, जैन नगर, किसन कालोनी सहित रोहिणी जोन एम में आबाद 180 से अधिक कालोनियों के साथ-साथ इन कालोनियों की संघर्ष समितियों के अलावा मनसा जन कल्याण मंच, भूमि बचाओ आन्दोलन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, शहरी महिला कामगार संगठन, इंसाफ, राष्ट्री घरेलू कामगार यूनियन, दिल्ली समर्थक समूह मजदूर सुविधा संघर्ष यूनियन, समाज सेवा उत्थान समिति (रजि.), लैण्ड हाउसिंग और लाइविलिहूड राइट नेटवर्क फाउंडेशन शामिल हो रहे हैं। धरने के दौरान 12 सूत्री मांग पत्र केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय और शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 से संबधित उस समिति के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा।

मालिकाना हक मिलने तक अनधिकृत कालोनियों की जंग जारी रहेगी

नई दिल्ली, (सं.): मास्टर प्लान में संशोधन, अनधिकृत कालोनियों की जमीन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया जोनल प्लान रोहिणी जोन एम को योजनाओं को रद्द करने, ऐसी कालोनियों में जिस जमीन पर लोगों ने अपने घर बना रखे हैं उस जमीन का कालोनीवासियों को मालिकाना हक देने, शहरी क्षेत्र में किसी भी योजना के तहत प्रभावित होने वाले घर के बदले नया घर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन व रकम देने का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में शामिल करने के साथ-साथ वर्ष 1993 के बाद से अब तक अनधिकृत कालोनियों को सरकारी स्तर पर नियमित करने के लिए की गई तमाम असत्य घोषणाओं की सीबीआई से जांच की मांग सहित कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर जन संघर्ष वाहिनी के दो दिवसीय धरने के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान 2021 में संशोधन की मांग को स्वीकारने के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया।

■ रोहिणी विस्तार क्षेत्र में आबाद अनधिकृत कालोनियों का जमीन अधिग्रहण रद्द करना ही काफी नहीं: बुल्डोजर चलने से रोकने के लिए संगठित होना पड़ेगा

विधानसभा क्षेत्र में आबाद जेड ब्लाक, प्रेम नगर-2 में किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि रोहिणी विस्तार क्षेत्र में आबाद अनधिकृत कालोनियों की जमीन का अधिग्रहण तो रद्द करके ऐतिहासिक काम किया, किन्तु उस जमीन का आज तक ऐसे लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जिन लोगों ने उस जमीन को खरीद कर अपने घर बना रखे हैं और जब केन्द्र सरकार ने मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की घोषणा तो कर दी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह संशोधन ऐसा होगा कि उसके बाद दिल्ली में आबाद किसी भी अनधिकृत कालोनी में किसी भी योजना को पूरा करने के लिए बुलडोजर नहीं चलेंगे? इसका जवाब स्वयं देते हुए उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब इन कालोनियों के लोग संगठित होकर सरकार पर ऐसा दबाव बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता जिस जमीन पर उनके घर आबाद हैं और 31 मार्च 1993 के बाद में गिराई जा चुकी अनधिकृत कालोनियों का पुनर्वास नहीं हो जाता जन संघर्ष वाहिनी तब तक अनधिकृत कालोनियों के हित में आगे संघर्ष को विराम नहीं देने वाली है। जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के कन्वीनर राजेन्द्र रवि ने भी सभा को संबोधित किया।

इसके अलावा जनसंघर्ष वाहिनी के सह संयोजक नन्दू प्रसाद गुप्ता के अलावा सभा को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में श्रीमती कौशल्या देवी, इंदू देवी, महावीर, संतराम, रामसकल यादव, महिपालसिंह, इंदर सिंह, अजबपाल और श्रीमती गीता प्रमुख थे। सभा का संचालन जन संघर्ष वाहिनी से जुड़े मनमा जन कल्याण मंच के अध्यक्ष हरदत्त सिंह ने किया।

265